न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 11/2015 जिला टोंक

भवानी सिंह पुत्र स्व0 श्री श्योजी सिंह मृतक जरिये वारिसानः–

1. पृथ्वीसिंह पुत्र स्व0 भवानी सिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 भवानी सिंह
3. हेम कंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह
4. आनन्द कंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह
5. किरण कंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह
6. श्रीमति गजराज कंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

................अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमति छेल कंवर तथाकथित पत्नि श्योजीसिंह
2. गणपत सिंह तथाकथित पुत्र श्योजीसिंह
3. श्रीमति भंवर कंवर तथाकथित पुत्री श्योजीसिंह
4. श्रीमति पुष्पा कंवर तथाकथित पुत्री श्योजीसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी सिरोहीकलां, तहसील दूदू जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

................रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 3228 दिनांक 19.06.2015 विद्वान तहसीलदार जी, मालपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया।

....

उपस्थित अभि0ः–श्री हेमराज गुप्ता(अपीलांट अभि0)
श्री रोहित सोनी(रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांक–

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कांटोली तहसील मालपुरा में अपीलांट के स्वर्गीय पिता श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत के नाम कुल किता 5 कुल रकबा 100 बीघा 11 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज थी। इन्हीं भूमियों के संबंध में एक दावा श्योजी सिंह द्वारा (119/2003) उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के समक्ष दिनांक 18.10.2003 को श्योजी सिंह बनाम अशोक सिंह दर्ज करवाया। उक्त वाद धारा 88 आरटीए के तहत लाया गया। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.05.2004 को उक्त भूमियों में श्योजी सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा उनके नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल–दरामद किये गये।

दिनांक 19.10.2005 को अपीलांट के अनुसार श्योजी सिंह पुत्र भवानी सिंह उर्फ गोविन्द सिंह का निधन दिनांक 19.10.2005 को हो गया व अपीलांट उनका एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होकर काबिज काश्तकार है। मगर रेस्पो0 1 से 4 द्वारा स्वर्गीय श्योजी सिंह का अपने आप को वारिस बताकर विरासत का नामातंरण अपने पक्ष में खुलवाने के लिए एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:39:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र रेस्पो0 संख्या 5 (तहसीलदार मालपुरा) के समक्ष प्रस्तुत किये। जिसके साथ श्योजी सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसमें उनकी मृत्यु दिनांक 21.10.1994 को होना बताया। जबकि उस दिनांक को विवादित भूमि श्योजी सिंह के नाम दर्ज नही थी। अपीलांट के पिता श्योजी सिंह के नाम उक्त भूमि न्यायालय के आदेश से दिनांक 19.05.2004 को दर्ज की गई। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट के द्वारा दिनांक 08.05.2015 को रेस्पो0 नम्बर 5 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 119/2003 निर्णय दिनांक 19.05.2004 की सम्पूर्ण पत्रावली मंगवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 08.05.2015 को बहस तहसीलदार द्वारा सुनी गई। मगर रेस्पो0 द्वारा दिनांक 28.06.2015 को अपने नाम नामातंरण दर्ज करने का आदेश प्राप्त कर लिया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विरासत का नामातंरण खोले जाने बाबत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। यह जानकारी अपीलांट को दिनांक 26.06.2015 को हुई। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 28.05.2015 से व्यथित होकर अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई–

1. तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपीलांट के पिता श्योजी सिंह के हक में निर्णय दिनांक 19.05.2004 की जांच किये बिना रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम नामातंरण खोल दिया। जबकि अपीलांट द्वारा उक्त पत्रावली मंगवाने बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिसका निस्तारण किये बिना तहसीलदार द्वारा अवैधानिक निर्णय दिया गया।

2. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के निर्णय दिनांक 19.05.2004 से स्पष्ट है कि श्योजी सिंह 2004 तक जीवित था मगर रेस्पो0 1 से 4 उनकी मृत्यु दिनांक 21.10.1994 को बताते है। जो संभव नहीं है।

3. अपीलांट का उसके पिता की मृत्यु के बाद कब्जाकाश्त है। तहसीलदार मालपुरा द्वारा विवादित भूमि के खातेदार अड़ौस–पड़ौस के खातेदार से जानकारी लिए बिना निर्णय दिया गया जो गलत है।

4. अपीलांट के दादा को भवानी सिंह/गोविन्द सिंह दोनो नामो से जाना जाता है। इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र में भवानी सिंह उर्फ गोविन्द सिंह लिखा हुआ है। अंकित किया हुआ है।

5. उत्तराधिकार संबंधित विवाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अतः तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2015 एवं इसकी पालना में तस्दीक नामातंरण संख्या 3228 दिनांक 19.06.2015 को निरस्त किया जायें तथा मृतक श्योजी सिंह की विरासत का नामातंरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किये जाने बाबत आदेश प्रदान किये जायें।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसमें अपीलांट ने यह कहा है कि यदि रेस्पो0 को पाबंद नहीं किया गया तो वे अपीलांट को विवादित भूमि से जबरन बेदखल कर भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगें। अतः अपील के निर्णय होने तक तहसीलदार मालपुरा के आदेश दिनांक 28.05.2015 एवं नामातंरण संख्या 3228 दिनांक 19.06.2015 की पालना स्थगित रखी जायें तथा मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा तहसीलदार द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 136/2014 भवानी सिंह बनाम छैल कंवर की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 13.11.2014 से दिनांक 28.05.2015 की प्रमाणित छायाप्रति निर्णय दिनांक 28.05.2015 की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की। साथ ही जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम कोटाली खाता संख्या 580 की सत्यप्रति प्रस्तुत किये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय के प्रकरण रजिस्टर में दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गई। रेस्पो0 की ओर से उनके मुख्तयार आम संजय सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र उदयभान सिंह निवासी सिरोहीकलां तहसील दूदूं के माध्यम से उनके अधिवक्ता डूंगर सिंह राठौड़, पुष्पेन्द्र सिंह नरूका और गजेन्द्र सिं राठौड़ द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया है।

अपीलांट को स्थगन आदेश प्रदान नहीं करने पर अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत उनकी निगरानी पैरा 13.07.2015 को खारिज कर दिया। उसके बाद मण्डल के आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा फिर नजरसानी प्रस्तुत की गई। जिसमें मण्डल द्वारा दिनांक 01.10.2015 को आदेंश दिया गया कि प्रकरण को अधिकतम 30 दिवस में निस्तारित करे। अतः शीघ्र सुनवाई की जायें। एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र विरासत का नामातंरण बढ़ने बाबत दिनांक 08.03.2007 , मौका पर्चा दिनांक 14.04.2007 मौका पर्चा ग्राम डिग्गी दिनांक 14.05.2007 एवं अन्य 14.05.2007 रिपोर्ट आई0एल0आर डिग्गी दिनांक 17.05.2007 मूल निवास प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कचौलिया दिनांक 07.11.1990, वोटर लिस्ट प्रगति पत्र पृथ्वीसिंह पुत्र भवानी सिंह निवासी सिंदोलियां ने दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

अपीलांट अभि0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3,9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भवानीसिंह पुत्र श्योजी सिंह का स्वर्गवास दिनांक 05.05.2019 को हो गया है। जिनके वारिस निम्नानुसार है—1.पृथ्वीसिंह पुत्र भवानी सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र भवानी,
3. हेमकंवर पुत्री भवानी सिंह,
4. आनन्द कंवर पुत्री भवानी सिंह,
5. किरण कंवर पुत्री भवानी सिंह,
6. श्रीमति गजराज कंवर पुत्री भवानी सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी डिग्गी तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

साथ ही निवेदन किया कि मृतक के समस्त वारिसान राइट टू स्यू सरवाइव करते है। अबेटमेंट को न्याय हित में खारिज किया जायें तथा अपीलांट भवानीसिंह के वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जायें। इसके समर्थन में महेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट श्री हेमराज गुप्ता ने बहस में बताया कि तहसीलदार द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 28.05.2015 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार ने उक्त निर्णय धारा 135(2) के तहत किया था। हम श्योजी सिंह पुत्र भवानी सिंह उर्फ गोविन्द सिंह ग्राम सिंदौलिया के वारिस है। दूसरे श्योजी सिंह पुत्र भवानी सिंह ग्राम सिरोहीकलां तहसील दूदूं के रहने वाले थे। विवादित भूमि कुल किता 5 रकबा 100 बीघा 11 बिस्वा ग्राम कांटोली में श्योजी सिंह ग्राम सिंदौलियां में 119/2003 से एस0डी0ओ मालपुरा में दावा किया था जो कि एस0डी0ओ मालपुरा द्वारा डिक्री किया गया था। दिनांक 19.10.2005 को श्योजी सिंह सिंरोही की मृत्यु हो गई। दिनांक 08.03.2007 को श्योजीसिंह सिंरोही के वारिसान द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया (विरासत का नामातंरण खोलने के लिए)। दिनांक 14.04.2007 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 14.05.2007 को दुबारा रिपोर्ट मंगवायी गई और रिपोर्ट दिनांक 14.05.2007 एवं दिनांक 17.05.2007 को मंगवायी गई। तहसीलदार द्वारा हमारे दिये गये प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया। हमारे द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र को गलत मानकर सामने वाले को सही मानकर निर्णय दिया है। श्योजी सिंह सिंरोही की मृत्यु 1994 में मान ली गई तो फिर एस0डी0ओ मालपुरा के समक्ष दिनांक 19.05.2005 को डिक्री कैसे प्राप्त हुई तहसीलदार मालपुरा का निर्णय खारिज किया जायें।

बहस में वकील रेस्पो0 द्वारा बताया गया कि 135(2) में पूरी जांच करने के बाद ही तहसीलदार द्वारा निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपर न्यायालय से रिकोर्ड तलब नहीं कर सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र संदिग्ध होने से तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:13:58 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा नही माने गये। अपीलांट की जमाबंदी में सोजी सिंह के पिता का नाम गोविन्द सिंह लिखा हुआ है। तहसीलदार द्वारा मूल मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से मंगवाया गया था उसमें श्योजी सिंह के पिता का नाम गोविन्द सिंह था। रजिस्टर्ड क्रमांक 44 था। तहसीलदार द्वारा अच्छे से प्रकरण की जांच की गई है। अब और जांच की आवश्यकता नहीं है।

रिब्युटल में वकील अपीलांट ने बताया कि श्योजी सिंह के पास जमीन कहा से आई यह बताया जायें। सन् 2007 की सारी रिपोर्टें मजमेआम में बनाई गई थी अपील स्वीकार की जायें।

दिनांक 03.12.2019 को प्रार्थी महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा भवानी सिंह के वारिसान को रिकोर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 09.02.2022 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जिसे पत्रावली पर शामिल किया गया। दिनांक 14.01.2020 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 पर बहस सुनी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया गया।

सर्वप्रथम अपील के अंदर मियाद होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2015 के द्वारा तहसीलदार मालपुरा है तथा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 03.06.2015 को दर्ज करवाया जाना पाया जाता है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट प्रार्थी के अनुसार यदि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार मालपुरा दिनांक 28.05.2015 एवं नामातंरण संख्या 3228 दिनांक 19.06.2015 की पालना व प्रभाव को स्थगित नहीं किया गया तो अप्रार्थी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर उसे बेदखल कर देगें। अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित करते हुए मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें। इस पर बाद सुनवाई तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2015 को स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा की पत्रावली प्रकरण संख्या 136/2014 भवानी सिंह बनाम छेलकंवर एवं अन्य की प्रोसिडिंग दिनांक 13.11.2014 से 28.05.2015 का अवलोकन किया गया। प्रोसिडिंग दिनांक 13.11.2014 के अनुसार छेंलकंवर पत्नि श्योजीसिंह, गणपतसिंह वगैरह राजपूत ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि हमारे पति व पिता श्योजीसिंह, भवानी सिंह राजपूत के नाम ग्राम टाटोली में खातेदारी की भूमि है। उनकी मृत्यु हो गई है तथा उनकी नाम की भूमि हमारे नाम दर्ज होनी चाहिए। इसी दिनांक की प्रोसिडिंग के अंत में यह लिखा हुआ है कि एक ओर प्रार्थना पत्र भवानीसिंह पुत्र श्री श्योजीसिंह राजपुत द्वारा ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया उसका वारिस में हूं। इसने भी मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह पेश किये। दिनांक 13.11.2014 को नोटिस जारी करने की बात लिखी हुई है। दिनांक 05.12.2014 को दोनो पक्ष के अधिवक्ता प्रस्तुत हुये तथा और दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा। दिनांक 24.04.2015 को अंकन किया है कि ग्राम पंचायत डिग्गी से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मंगवायी जायें। दिनांक 08.05.2015 को बहस अधूरी रही। जो दिनांक 26.05.2015 को पूरी हुई। दिनांक 28.05.2015 को न्यायालय प्रोसिडिंग में निम्नानुसार अंकन है–''पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। प्रार्थी भवानी सिंह पुत्र श्योजीसिंह जाति राजपूत डिग्गी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.11.2014 खारिज किया [illegible]। विस्तरित निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली कराया गया। पत्रावली फैसल [illegible] होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुकुम सरे इजलास सुनाया गया''

तहसीलदार मालपुरा द्वारा किये गये निर्णय [illegible] 28.05.2015 का अवलोकन किया गया। इसके प्रथम पैरा में निम्नानुसार अंकन है–छैलकंवर,गणपतसिंह,भंवरकंवर,पुष्पाकंवर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि हमारे पिताजी की मृत्यु दिनांक 21.10.1994 को मृत्यु हो गई है। अब जो उनके नाम ग्राम टाटोली में खातेदारी की भूमि है उसका नामातंरण हमारे नाम दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी की जायें। तहसीलदार दूदूं से मृतक खातेदारी पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी सिरोहीकलां के वारिसान की जांच ली गई। जिस पर तहसीलदार दूदूं द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में छैलकंवर पत्नि गणपतसिंह पुत्र भंवरकंवर, पुष्पाकंवर पुत्रियां मृतक खातेदार श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह के कुल चार वारिसान अपनी जांच रिपोर्ट में होना बताया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2014 जारी किया गया। जिसके आधार पर पटवारी हल्का टाटोली ने नामातंरण संख्या 3228 मृतक खातेदार श्योजीसिंह के वारिसान छैलकंवर वगैरह के नाम दर्ज किया। इस बीच भवानीसिंह पुत्र सोजी सिंह राजपूत डिग्गी द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके नाम ग्राम टाटोली मे भूमि है। उसका मेरे नाम नामातंरण दर्ज किया जायें। मै ही उनका वारिस हूं। उसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी पेश की जिसमें श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह उर्फ गोविन्द सिंह राजपूत निवासी डिग्गी दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र कमांक रजि0 दिनांक 07.03.2007 को जारी किया गया। पत्रावली पर पूर्व में उपलब्ध प्रार्थना पत्र छैलकंवर वगैरह के साथ जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया हुआ है। उसमें रजि0 कमांक संख्या 19 दिनांक 21.10.1994 दर्ज है। दोनों मृत्यु प्रमाण पत्र अलग–अलग तारिखों के है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार दूदूं से ग्राम पंचायत सिरोहीकलां तहसील दूदूं के यहां से जारी वारिसान व मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच करवायी गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत डिग्गी से जारी किये गये। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 07.03.2007 की मूल प्रति सचिव ग्राम पंचायत डिग्गी से मंगवायी जाकर जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत डिग्गी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक श्योजीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह होना बताया गया। जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह का ही जारी हुआ तथा उसके वारिसान छैलकंवर वगैरह है।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत डिग्गी के यहां से जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार मृतक का नाम श्योजीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह मृत्यु की तारिख 19.10.2005 जिसका रजि0 कमांक 44 , रजि0 तिथि 24.10.2005 है। प्रार्थी भवानीसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की छायाप्रति श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह उर्फ गोविन्दसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र रजि0 संख्या 44 दिनांक 07.03.2007 का जारी किया हो रखा है। जिसमें मृतक के पिता का नाम भवानीसिंह उर्फ गोविन्द सिंह लिखा हुआ है। जिस पर मृतक की मृत्यु की कोई तिथि अंकित नहीं है। इस आधार पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र को संदिग्ध माना गया तथा प्रार्थी भवानीसिंह पुत्र श्योजीसिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया तथा तहसीलदार दूदूं की जांच रिपोर्ट के आधार पर मृतक खातेदार श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह के वारिसान छैलकंवर वगैरह को माना जाकर दर्जशुदा नामातंरण 3228 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भवानीसिंह पुत्र श्योजीसिंह जाति राजपूत निवासी डिग्गी द्वारा दिनांक 08.05.2015 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रकरण संख्या 119/2003 श्योजीसिंह बनाम अशोकसिंह वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा की पत्रावली न्याय निर्णय हेतु तलब किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 19:19:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा प्रकरण सं[illegible]/2003 श्योजीसिंह बनाम अशोक कुमार सिंह एवं अन्य में प्रस्तुत खातेदारी घोषणा एवं [illegible] दुरूस्ती के वादी द्वारा प्रस्तुत दावे को दिनांक 19.05.2004 को डिक्री [illegible] श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत निवासी सिंघोलियां मालपुरा की ग्राम टाटोली [illegible] खसरा नम्बर 78 रकबा 69 बीघा 6 बिस्वा, 79 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा 80 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 81 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा

तथा 96 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 100 बीघा 11 बिस्वा भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया। उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2004 को पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के द्वारा निर्णित इस वाद में यह बताया गया है कि दिनांक 07.05.1958 को तत्कालीन खातेदार नारायण सिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत निवासी सिरोही तहसील मौजमाबाद द्वारा व हैसियत सर्वाधिकारी ठाकुर संग्रामसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत निवासी डिग्गी हाउस द्वारा विक्रय की गई। जमाबंदी संवत 2058–61 में उक्त भूमि नारायण सिंह पुत्र संग्रामसिंह के नाम दर्ज रिपोर्ट थी। संग्रामसिंह की मृत्यु के बाद आराजीयात की खातेदारी नारायणसिंह के नाम दर्ज हो गई। उक्त वाद में प्रतिवादी 1 से 5 नारायणसिंह के वारिस है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार की ओर से जवाब पेश कर बताया गया कि वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त रिकोर्ड में भू–प्रबन्ध से संवत 2035 तक सिवायचक दर्ज थी। उस समय के विक्रय पत्र है जो अवैध है। क्योंकि जो भूमि ही सिवायचक थी तो उसका भुगतान किस आधार पर हो सकता है। इस प्रकार यह विक्रय पत्र अवैध है। जिसका राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जाना नियम विरूद्ध है एवं उक्त भूमि नामातंरण संख्या 846 दिनांक 30.06.1979 द्वारा डिक्री 257/17/एफ–1 टोंक का निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 26.11.1976 व आदेश तहसील 157 दिनांक 30.01.79 के द्वारा ठाकुर नारायण सिंह पुत्र संग्राम सिंह के नाम दर्ज की। परंतु किसी भी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का नामातंरण तस्दीक करने का अधिकार सिर्फ संबंधित राजस्व अधिकारी(तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को है। जबकि उक्त नामातंरण संख्या 846 दिनांक 30.06.79 को सरपंच ग्राम पंचायत कांटोली द्वारा तस्दीक किया गया। जो सर्वथा अवैध अथवा नियमों के विपरीत है। अतः भू–राजस्व रिकोर्ड में भूमि सिवायचक होने के कारण विक्रय पत्रों का अंकन राजस्व रिकोर्ड मे किया जाना अनुचित है तथा दावे को खारिज योग्य बताया गया था।

पूर्व में भी भवानीसिंह पुत्र श्योजीसिंह निवासी सिंघोलिया हाल निवासी डिग्गी के द्वारा दिनांक 08.03.2007 को तहसीलदार मालपुरा को विवादित भूमि बाबत श्योजीसिंह की मृत्यु दिनांक 24.10.2005 को बताते हुए विरासत का नामातंरण खोलने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया। इस प्रार्थना पत्र के पुष्ट पर पटवार मण्डल टाटोली की पटवारी की टिप्पणी दिनांक 11.03.2007 अंकित है। जिसके अनुसार मृतक श्योजीसिंह सिंघोलिया का रहने वाला है। इसकी जांच पटवारी हल्का सिंघोलिया से करवायी जाकर विरासत का नामातंरण खोलने का आदेश होने पर नामातंरण खोला जा सकता है।

दिनांक 12.03.2007 को तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का सिंघोलिया को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। इस पर टिप्पणी करते हुए पटवार हल्का सिंघोलिया के पटवारी द्वारा निम्नानुसार दिनांक 14.04.2007 को टिप्पणी अंकित की है। ''निवेदन है कि ग्राम सिंघोलियां में आज से 10–12 वर्ष पूर्व श्योजीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजपूत (जोगी नाड़ा में) में परिवार निवास करता था। जिसके एक लड़का भवानीसिंह पुत्र श्योजीसिंह था जो वर्तमान में डिग्गी निवास करता हैं तथा श्योजीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह की पत्नि वर्तमान में ग्राम सिंघोलियां में आश्रम में साध्वी के रूप में निवास करती है। जिसका नाम भंवरकंवर बेवा श्योजीसिंह है। उक्त श्योजसिंह के एक लड़की थी जिसकी करीबन 30 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है। श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह साकिन्द सिंघोलिया के बारे में जानकारी करने पर ग्रामवासियों ने बताया कि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सिंघोलिया में वर्तमान में निवास नहीं करता है। न ही पूर्व में कही सिंघोलियां में [illegible]। अतः वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सेवामें पेश है। मौका पर्चा संलग्न पेश है

तहसीलदार मालपुरा के आदेश दिनांक [illegible] की पालना में दिनांक 14.05.2007 को एक अन्य मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का डिग्गी द्वारा [illegible] गई। जिसमें यह बताया गया कि ''गवाहान ने बताया कि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह कौम राजपूत ग्राम सिरोहीकलां तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested

दूदूं जिला जयपुर का निवासी था जिसकी मृत्यु दिनांक 21.10.1994 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से जारी होता है। श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत साकिन्द सिंघोलियां हाल डिग्गी निवास करता है। जिसका नाम श्योजीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह होना बताया है। उपरोक्त दोनो श्योजीसिंह डिग्गी वाले व सिरोहीकलां डिग्गी ठिकाने पर नौकरी करते थे। श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत ग्राम सिरोहीकलां तहसील दूदूं जिला जयपुर के वारिसान गणपतसिंह पुत्र व बेवा छैलकंवर है। जो वर्तमान में किशनगढ़ रहते है तथा गणपतसिंह पुत्र श्योजीसिंह सेना में सर्विस करते है। एक अन्य मौका पर्चा तहसीलदार मालपुरा के आदेश दिनांक 21.04.2007 के अनुसरण में दिनांक 14.05.2007 को डिग्गी पहुंचकर वादी द्वारा दी गई दरकास्त पर मजमेआम में जानकारी की तथा यह आया कि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह कौम राजपूत फौत हो चुके है। जिनको श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह व श्योजीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह के नाम से जाना जाता था। जो सिंघोली माताजी में रहते थे। 4–5 साल से हाल डिग्गी में रहते थे। ये डिग्गी ठिकाने में कार्य भी करते थे। श्योजीसिंह के एक लड़का भवानीसिंह होना बताया है व एक पुत्री कमलकंवर व बेवा भंवरकंवर होना बताया है। जो कमलकंवर पुत्री की मृत्यु करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है।

इन सभी मौका पर्चा के आधार पर गिरदावर डिग्गी द्वारा दिनांक 17.05.2007 को तहसीलदार मालपुरा को रिपोर्ट प्रेषित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दो अलग–अलग जानकारी उनके द्वारा दी गई। प्रथम जानकारी में बताया कि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत फौत हो चुका है। उसको श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह व श्योजीसिंह पुत्र गोविन्द सिंह के नाम से भी जाना बताया है। जिनके एक लड़क भवानी सिंह पुत्र श्योजीसिंह व बेवा भंवरकंवर बताया गया है तथा एक लड़की कमलकंवर होना बताया गया है। जो करीब 30 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है।

द्वितीय जानकारी में बताया गया कि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह सिरोहीकलां तहसील दूदूं जिला जयपुर का होना बताया। जो ठिकाना डिग्गी में कार्य करता था। जिसकी मृत्यु दिनांक 21.10.1994 को होना बताया। जिसका प्रमाण पत्र भी पेश होना बताया गया। जिसके वारिसान एक लड़का गणपतसिंह व बेवा छैलकंवर होना बताया गया है जो किशनगढ़ में निवास करना बताया गया है। तीसरी जानकारी में यह बताया गया है कि श्योजीसिंह जो सिंघोलिया माता हाल डिग्गी में निवास करता था। गवाहान ने बताया कि श्योजीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह होना बताया है।

स्पष्ट है कि मृतक खातेदार श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह के वारिस कौन है? इस बाबत अलग–अलग रिपोर्ट एवं जानकारी प्राप्त हुई है। यह स्थिति सन् 2007 में दृष्टिगोचर होती है। पुनः 2014 में फिर यही प्रश्न तहसीलदार मालपुरा के समक्ष लाया जाता है कि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह के वास्तविक वारिस कौन–कौन है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 136/2014 में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सिलिंग प्रकरण संख्या 443/1970 के आदेश दिनांक 21.07.1971 उनवानी नारायणसिंह पुत्र संग्रामसिंह राजपूत डिग्गी के अवलोकन से यह पता लगता है कि ग्राम कांटोली में श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत को 100 बीघा 11 बिस्वा भूमि दिनांक 07.02.1958 को रजिस्टर्ड बेनामे के माध्यम से भूमिधारी द्वारा हस्तानांतरित की गई है। इसके अलावा कल्याण कंवर पुत्री भवानीसिंह सिंघोलियां को भी 122 बीघा 13 बिस्वा भूमि दिनांक 30.01.1958 को रजिस्टर्ड बेनामें से भूमिधारी द्वारा हस्तानांतरित की गई है। दिनांक 03.02.1958 को भी बजरंग सिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत को 114 बीघा 15 बिस्वा [illegible] जिस्टर्ड बेनामें से भूमिधारी द्वारा हस्तानांतरित की गई है। इस निर्णय के अंत में यह [illegible] किया हुआ है ''भूमिधारी के खिलाफ कार्यवाही समाप्त की जाती है।'' [illegible] पत्रावली पर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्योजीसिंह पुत्र भवानीसि[illegible] की मृत्यु दिनांक 21.10.1994 को सिरोहीकलां में हुई है। उक्त मृत्युप्रमाण पत्र रजि0 नम्बर 19 है तथा रजि0 दिनांक 17.10.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested

2014 और उक्त प्रमाण पत्र तहसीलदार दूदूं के आदेश क्रमांक 798 दिनांक 16.10.2014 की पालना में जारी किया हुआ माना जाता है। ग्राम पंचायत सिरोहीकलां के सरपंच द्वारा दिनांक 18.10.2014 को सिजरा प्रमाण पत्र श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह जारी किया है। जिसके अनुसार उनके वारिस छैलकंवर(पत्नि), गुणपतसिंह(पुत्र),भंवरकंवर(पुत्री),पुष्पाकंवर(पुत्री) को बताया है तथा इनके अलावा कोई वारिसान होना नहीं बताया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दूदूं विधानसभा नामावली 1966 भागसंख्या 111 ग्राम सिरोहीकलां के क्रम संख्या 42 पर श्योजीसिंह/भवानीसिंह पु0 उम्र 27 तथा छैलकंवर/श्योजीसिंह स्त्री उम्र 24 तथा क्रम संख्या 45 पर बजरंगसिंह/भवानीसिंह पुरूष 38 अंकित किया हुआ है। दूदूं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली 1980 भाग संख्या 76 के क्रम संख्या 66 पर श्योजीसिंह/भवानीसिंह पु0 उम्र 39 तथा क्रम संख्या 67 पर छैलकंवर/श्योजीसिंह स्त्री 34 तथा क्रम संख्या 73 पर बजरंग सिंह/भवानी सिंह पु0 उम्र 49 अंकित हुआ है। विधानसभा क्षेत्र मालपुरा बाद संख्या 107 ग्राम डिग्गी के क्रम संख्या 202 पर श्योजीसिंह पिता गोविन्दसिंह पु0 उम्र 86 तथा क्रम संख्या 203 पर भवानीसिंह पिता श्योजीसिंह पु0 46 अंकित किया गया है। निर्वाचक नामावली 2014 ग्राम डिग्गी भाग संख्या 2 बाग के कुऐं का रास्ता क्षेत्र में क्रम संख्या 197 पर भवानीसिंह पिता श्योजीसिंह मकान संख्या 260 उम्र 56 अंकित की गई है। ग्राम पंचायत डिग्गी द्वारा दिनांक 04.05.2015 को श्योजीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र तहसीलदार मालपुरा को भिजवाया गया था। जिसके अनुसार श्योजीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह की मृत्यु ग्राम डिग्गी में दिनांक 19.10.2005 को हुई थी। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र का रजि0 नम्बर 44 है तथा रजि0 तिथि दिनांक 24.10.2005 अंकित की गई है। दिनांक 04.05.2015 को जन्म मृत्यु पंजियन के रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत डिग्गी द्वारा जारी किया गया। उक्त संदर्भ में सूचना दाता महेन्द्र पुत्र भवानीसिंह निवासी डिग्गी है। मृत्यु का स्थान डिग्गी अंकित किया हुआ है तथा मृतक की आयु 85 वर्ष बतायी है। महेन्द्रसिंह द्वारा ही उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। जमाबंदी ग्राम सिरोहीकलां संवत 2052–55 , वास्तविक संवत 2052 , खाता संख्या नया 145 में कॉलम संख्या 4 में मोहनसिंह,हरिसिंह पिता भवानीसिंह हिस्सा 3/4 श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह 1/8, भरतसिंह,दशरथसिंह,कानासिंह, बजरंगसिंह 1/8, कौम राजपूत के नाम दर्ज है। नामातंरण संख्या 719 दिनांक 26.12.के0 श्योजीसिंह सिंह की विरासत गणपतसिंह पिता श्योजीसिंह, छैलकंवर बेवा श्योजीसिंह 1/8 का अंकन स्वीकार किया। ग्राम सिरोहीकलां की जमाबंदी 2066–69 से खाता संख्या नया 165 के अनुसार संयुक्त खाते में जिसमें कुल 7 खसरा नम्बर है में गणपतसिंह पुत्र श्योजीसिंह, छैलकंवर बेवा श्योजीसिंह हिस्सा 1/8 अंकित किया है। ग्राम कांटोली की जमाबंदी संवत 2054–57 के नये खाता संख्या 725 के खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बीघा का खाता श्योजीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत साकिन सिंघोलिया के नाम दर्ज है। उक्त पुरा खाता नामातंरण संख्या 2067 के द्वारा जरिये विक्रय पत्र रामदेव ,किशनलाल,रामधन,लीला पिता देवकरण गुर्जर के नाम दर्ज किया हुआ है। ग्राम कांटोली जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या नया 580 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 78,79,80,81,96 श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत साकिन सिंघोलियां के नाम दर्ज है।

प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह पता लगता है कि श्योजीसिंह/भवानीसिंह ग्राम सिरोहीकलां की उम्र 1966 की विधानसभा क्षेत्र दूदूं की निर्वाचक नामावली अनुसार उस समय 27 वर्ष थी तथा उसकी पत्नि छैलकंवर/श्योजीसिंह की उम्र 24 वर्ष थी। दूदूं विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1980 के अनुसार श्योजीसिंह/भवानीसिंह की उम्र 39 वर्ष है तथा छैलकंवर/श्योजीसिंह 34 वर्ष है। छैलकंवर/श्योजीसिंह [illegible] के द्वारा तहसीलदार मालपुरा के समक्ष नामातंरण खोलने बाबत जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें उन्होने स्वयं श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह का स्वर्गवास दिनांक 21.10.1994 को [illegible] भी बताया है। उक्तानुसार श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह सिरोहीकलां की मृत्यु 53 वर्ष की आयु में मानी जा सकती है। रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested

जन्म–मृत्यु पंजियन ग्राम पंचायत डिग्गी के अनुसार श्योजीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह की मृत्यु दिनांक 19.10.2005 को 85 वर्ष की उम्र में होना पाया जाता है। स्पष्ट है कि दोनो श्योजीसिंह अलग–अलग गांवों के निवासी होकर अलग–अलग उम्र में अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए है। जहां तक सिरोहीकलां के श्योजीसिंह के पिता के नाम का प्रश्न है वह पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार भवानीसिंह है तथा डिग्गी वाले श्योजीसिंह के पिता का नाम गोविन्दसिंह होना माना जायेगा। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड बयनामा में वादग्रस्त भूमि का क्रेता श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत सिंघोलियां माताजी बताया गया। गिरदावर रिपोर्ट दिनांक 17.05.2007 के अनुसार श्योजीसिंह जो सिंधोली माता हाल निवास डिग्गी में करता था के पिता का नाम श्योजीसिंह पिता गोविन्दसिंह बताया तथा इसी रिपोर्ट में एक जगह उनके द्वारा श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह और श्योजीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह के नाम से भी जानना बताया है। श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत निवासी सिंघोलिया द्वारा प्रकरण संख्या 119/2003 में दिनांम 19.05.2004 को अपने पक्ष में घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती बाबत निर्णय एवं दिनांक 24.05.2004 को डिक्री प्राप्त की। यदि श्योजीसिंह को सिरोहीकलां का माना जाता है तो स्वयं उसकी पत्नि छैलकंवर के अनुसार श्योजीसिंह की मृत्यु ग्राम सिरोहीकलां में दिनांक 21.10.1994 को हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में यही नहीं माना जा सकता है कि डिक्री दिनांक 24.05.2004 को श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह निवासी सिरोहीकलां जीवित रहा होगा। जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम कांटोली खाता संख्या नया 580 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत साकिन सिंघोलिया के नाम दर्ज थे। यह नामातंरण संख्या 3228 दिनांक 19.06.2015 श्योजीसिंह की विरासत का नामातंरण छैलकंवर पत्नि श्योजीसिंह, गणपतसिंह पुत्र श्योजीसिंह, भंवरकंवर, पुष्पाकंवर पुत्रियां श्योजीसिंह हिस्सा बराबर के नामातंरण स्वीकार हुआ। साकिन सिंघोलियां हाल सिरोहीकला है।

उपरोक्तानुसार विवरण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत सिंघोलिया माताजी द्वारा खरीद की गई थी। उक्त क्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 07.02.1958 को किया गया था। मगर इसके आधार पर राजस्व रिकोर्ड में कोई अमल दरामद नहीं किया जा सका। यह विचारणीय प्रश्न है। प्रकरण संख्या 119/2003 श्योजीसिंह बनाम अशोक कुमार सिंह व अन्य में तहसीलदार द्वारा (प्रतिवादी संख्या 6) जो जवाब पेश किया गया था उसके अनुसार राजस्व रिकोर्ड में भू–प्रबन्ध से संवत 2035 तक विवादित आराजीया सिवायचक दर्ज थी। उस समय के विक्रय पत्र अवैध है। क्योकि जो भूमि ही सिवायचक थी तो ऐसी भूमि का बेचान किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो ही नही सकता। साथ ही उनके द्वारा नामातंरण संख्या 846 दिनांक 30.06.1979 जो कि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं खोला जा सकता था उसके प्रति भी आक्षेप किया है। श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह सिंघोलिया का निवासी था यह किस प्रकार सिरोहीकलां का निवासी हो गया इस बाबत तहसीलदार मालपुरा ने प्रकरण संख्या 136/2014 में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है। जबकि राजस्व रिकोर्ड के अनुसार भी यही माना जा सकता था कि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह सिरोहीकलां का निवासी था। यह बात नामातंरण संख्या 719 दिनांक 26.12.2000 ग्राम सिरोहीकलां संवत 2052–55 की जमाबंदी से स्पष्ट है अर्थात श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह सिंघोलियां का निवासी था तथा श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह निवासी सिरोहीकलां एक अन्य व्यक्ति था। ग्राम पंचायत डिग्गी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि श्योजीसिंह के पिता का नाम गोविन्दसिंह था इस व्यक्ति को भी सिंघोलिया वाले श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह से अलग माना जा सकता है। ऐसे गंम्भीर मामले जिसमें मृत खातेदार का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन इस बाबत प्रश्न उत्पन्न होता है। ऐसे प्रकरण को तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय में निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिए था जो उसके द्वारा नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 136/2014 में धारा 135(2) एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। धारा 135(2) का प्रावधान निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested

Iff the succession or transfer or other acquisition is disputed, the Tehsildar shall, if competent under this Act or any other law for the time being in force, decide such dispute according to law and if not so competent, refer the dispute to any other officer so competent for decision.

उत्तराधिकार के कठिन प्रश्न का निवारण सामान्यतः सिविल कोर्ट के सक्षम न्यायाधीश द्वारा किया जाता रहा है। जब एक ही नाम के व्यक्ति को दो अलग–अलग व्यक्ति अपने पिता के रूप में बताकर उनकी मृत्यु के बाद विरासत के प्रश्न के निर्णय में विवाद करते है तो ऐसे मामलों मे तहसीलदार को सक्षम न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से मंगवाया जाना चाहिए। यह उसके द्वारा नहीं मंगवाया गया। तहसीलदार के समक्ष अपीलाधीन प्रकरण में छैलकंवर एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वयं को सिरोहीकलां का निवासी ही बताया था। पत्रावली पर प्रस्तुत शपथ पत्र छैलकंवर के अनुसार वह वर्तमान में सिरोहीकलां में निवास करती है तथा पहले अपने परिवार के साथ सांदोलिया में रहना बताती है। भूमि क्रयकर्ता श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह सिंघोलियां का निवासी था जबकि छैलकंवर द्वारा अपने शपथ पत्र (जो नोटेरी किया हुआ है दिनांक 31.10.2014) में सांदोलिया का निवासी बताया है। तहसीलदार मालपुरा द्वारा सिरोहीकलां ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र व दूदूं से प्राप्त राजस्व अधिकारी रिपोर्ट के आधार पर छैलकंवर एवं अन्य को मृतक श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह का वारिस माना हैं। जबकि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह पुत्र भवानीसिंह सिंघोलिया माताजी का रहने वाला था ना की सिरोहीकलां का निवासी था। साथ ही तहसीलदार न यह नहीं देखा कि छैलकंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर जिस पर कार्यवाही करते हुए नामातंरण तस्दीक किया गया था उसी प्रार्थना पत्र में श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह की मृत्यु दिनांक 21.10.1994 को होना उनके द्वारा ही बतायी गई थी। जबकि वादग्रस्त भूमियां प्रकरण संख्या 119/2003 के बाद निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा दिनांक 19.05.2004 के बाद ही श्योजीसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। तहसीलदार ने यह नहीं देखा कि क्या मृतक व्यक्ति किसी न्यायालय में उपस्थित होकर कोई डिक्री प्राप्त कर सकता है।

न्यायालय का यह मानना है कि श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह निवासी सिरोहीकलां श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह निवासी सिंघोलियां, श्योजीसिंह पुत्र गोविन्दसिंह निवासी डिग्गी अलग–अलग व्यक्ति है। नामों की समानता की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। श्योजीसिंह पुत्र भवानीसिंह की विरासत के निर्णय के लिए सक्षम सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकोर्ड का अच्छें से विवेचन नहीं करते हुए निर्णय दिया है जो अपास्त योग्य है। तहसीलदार मालपुरा द्वारा जांच कर दोनों पक्षो को आवश्यक रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करेगें।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालपुरा के निर्णय दिनांक 28.05.2015 प्रकरण संख्या 136/2014 व उनवानी भवानीसिंह बनाम छैलकंवर की पालना में खोले गये नामातंरण संख्या 3228 दिनांक 19.06.2015 [illegible] को निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः तहसीलदार मालपुरा को [illegible] प्रतिपेक्षित किया जाता है कि तहसीलदार मालपुरा उचित जांच एवं प्रकिया का पालन कर पुनः कानून संम्मत निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक.............................को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested